राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट भीम, जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारीः– विकास शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 149/2024 प्रा0पत्र

अनवान

1. हुकम सिंह पिता डाउ सिंह उम्र 40 वर्ष।
2. उदय सिंह पिता धन्ना सिंह उम्र 45 वर्ष।
3. सुरेश सिंह पिता देवी सिंह उम्र 22 वर्ष।

समस्त जाति रावत निवासीयान चतरपुरा मण्डावर तहसील भीम जिला राजसमंद।

.... प्रार्थीगण

विरूद्ध

1. मुन्ना सिंह पिता टिल सिंह उम्र 45 वर्ष जाति रावत निवासी मेघातों की गुआर चतरपुरा तहसील भीम जिला राजसमंद।
2. भान सिंह पिता नाथु सिंह उम्र 60 वर्ष जाति रावत निवासी चतरपुरा मण्डावर तहसील भीम जिला राजसमंद।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील भीम जिला राजसमंद।

.... अप्रार्थीगण

उपस्थितिः–

01. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री हेमेन्द्र सिंह चौहान

02. अप्रार्थीगण की ओर से पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम वास्ते पत्थरगढ़ी

निर्णय दिनांकः– 30/10/25

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि प्रार्थीगण की ग्राम चतरपुरा पटवार हल्का मण्डावर भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र काछबली तहसील भीम जिला राजसमंद की जमाबंदी संवत 2074–2077 के अनुसार खाता संख्या नया 396 एवं पुराना 396 खसरा संख्या कमशः 3454, 3477, 3478, 3479, 3597, 3598, 3599, 3600, 3723, 3896/2, 3902/2, 4053 रकबा कमशः 0.3399, 0.1174 व 0.0283, 0.0728, 0.0324, 0.0324, 0.0081 व 0.0263, 0.0890, 0.0324, 0.0243, 0.0243, 0.0364, 0.1416है0 कुल किता 12 रकबा 1.0056 है0 भूमि स्थित है। उपरोक्त वर्णित भूमि पर मौके पर सही सीमा जानकारी के चिन्ह नहीं होने की वजह से आए दिन घास काटते एवं फसल बोते वक्त और पेड़–पौधे की डालिया जानवरों के लिए काटते वक्त हर समय विवाद होता रहता है एवं बार–बार परिशान्ति भंग होने की सम्भावना बनी रहती है। हम प्रार्थीगण उक्त भूमि की पाल–डोल लगाकर उन्नत एवं विकसित करना चाहते है। अतः उक्त भूमि का विद्यमान सर्वेक्षण ,नक्शों के आधार

Jhaen

पर एवं पुराने चिन्हों के आधार पर सीमा को चिन्हित करते हुए बाद नपती पत्थरगढ़ी हो जाती है तो भूमि की सीमाएं स्पष्ट हो जाएगी। अतः प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी करने के बाद भी विपक्षीगण 01 व 02 अनुपस्थित पाए गए। प्रत्युत्तर में राज्य सरकार की ओर से पैरोकार सरकार ने उपस्थित होकर न्यायालय को जवाब पेश किया कि उक्त वर्णित आराजी की खसरों की सीमाओं को लेकर प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण के मध्य सीमा विवाद है। वकील प्रार्थी ने प्रकरण में बहस की जिनकी एकतरफा बहस सुनी। विद्वान वकील प्रार्थी ने बहस में तर्क दिए कि प्रार्थी उक्त भूमि का खातेदार है और कोई भी खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी करा सकता है ग्राम चतरपुरा पटवार हल्का मण्डावर भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र काछबली की नकल, जमाबंदी वर्ष 2074—2077 में प्रार्थी सह खातेदार है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम चतरपुरा पटवार हल्का मण्डावर भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र काछबली तहसील भीम जिला राजसमंद की जमाबंदी संवत 2074—2077 के अनुसार खाता संख्या नया 396 एवं पुराना 396 खसरा संख्या क्रमशः 3454, 3477, 3478, 3479, 3597, 3598, 3599, 3600, 3723, 3896/2, 3902/2, 4053 रकबा क्रमशः 0.3399, 0.1174 व 0.0283, 0.0728, 0.0324, 0.0324, 0.0081 व 0.0263, 0.0890, 0.0324, 0.0243, 0.0243, 0.0364, 0.1416 है0 कुल किता 12 रकबा 1.0056 है0 भूमि की पत्थरगढी करने के आदेश दिए जाते है। पालना हेतु तहसीलदार भीम को लिखा जावे कि प्रार्थीगण से नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क जमा करा मौके पर पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी कर रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें।

निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद पूर्ति फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी भीम
जिला - राजसमन्द